

ENR 123

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

144



किशनलाल पिता मांगीलाल मालवीय **क्रमांक-4457/2018** होशंगाबाद 12.25  
उम्र 57 वर्ष निवासी ग्राम रीछी  
तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.....याचिकाकर्ता

**बनाम**

1. सावित्रीबाई उम्र 62 पुत्री मुंशीलाल  
पति सदन लाल निवासी पुरानी इटारसी  
तह. इटारसी जिला होशंगाबाद ।
2. दीनबन्धु पिता स्व. श्री मुंशीलाल  
उम्र 45 वर्ष ग्राम रीछी  
तह. सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद ।
3. कलावति बाई उम्र 45 वर्ष  
पिता नंदकिशोर मालवीय  
पुत्री स्व. मुंशीलाल पता चौकीगवां  
तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद ।
4. राधाकिशन मालवीय पिता स्व. मुंशीलाल मालवीय  
उम्र 65 वर्ष रिटायर्ड ग्राम सेवक निवासी रोहना  
तह. व जिला होशंगाबाद । ..... उत्तरवादीगण

**याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.संहिता**

उपरोक्त याचिका याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनी मालवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ 27/17-18 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं।

**प्रकरण के तथ्य**


यह कि उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 द्वारा संशोधन क्रमांक 12/68 दिनांक 01.12.06 ग्राम रीछी के विरुद्ध माननीय अनुविभागीय महोदय के समक्ष 10 वर्ष दिनांक 10

आवेदन डा. कि.  
श्री संदीप कुंदे  
द्वारा भोपाल  
कैम्प में  
प्रस्तुत।  
23/05/18

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4457/2018/होशंगाबाद/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हो। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> अध्यक्ष</p>	